न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 171/2019 (09/2019)
GCMS NO. : 2019/00028

–:: प्रार्थी ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनदास
   जाति–वैष्णव निवासी राबडियावास
   तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. राकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. आकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. धापूदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण
   जाति–वैष्णव निवासीगण
   राबडियावास तहसील जैतारण
   जिला–पाली।
4. कमला पुत्री मोहनदास पत्रिन
   भवानीदास
   निवासी आगेवा तहसील जैतारण
   जिला पाली।
5. पिस्ता पुत्री मोहनदास पत्नि
   चम्पादास
   निवासी देवरिया तहसील जैतारण
   जिला पाली।
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/07/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 29/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल की वंश वंक्षावली प्रार्थना पत्र में अंकित है। राजस्व मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान एवं उनके पिता परपिता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है जो इस प्रकार है– खसरा नम्बर 386 रकबा 14–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 393 रकबा 13–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 405 रकबा 27–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 412 रकबा 19–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 441/1 रकबा 05–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 463 रकबा 06–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 473 रकबा 87–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 881 रकबा 07–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नम्बर 386/1 रकबा 01-01 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 463/1 रकबा 0-07 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 880 रकबा 0-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 20 रकबा 22-08 बीघा किस्म बारा अलीफ। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में सायल के पिता एवं गैरसायलान के पूर्वज मोहनदासजी का 1/3 वां हक-हिस्सा व अधिकार था। व इसी माफिक मोहनदासजी अपने जीवनकाल में इस भूमि पर काश्त करते रहे थे। मोहनदासजी के कुल दो जायन्दा पुत्र व दो जायन्दा पुत्रियां यानि कुल चार विधिक वारिसान है। जो सभी मोहनदासजी के जीवनकाल में उनके सामलाती ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नंबरान की भूमि में 1/3 वां हिस्सा मोहनदास वल्द मायादासजी का है। मोहनदासजी की वृद्धावस्था में उनके घर परिवार की देखरेख व घर का सारा लेनदेन मोहनदासजी के बड़े पुत्र लक्ष्मीनारायणजी द्वारा ही किया जाता रहा है। इस प्रकार से गैरसायल संख्या 01 से 02 के पिता, गैरसायल संख्या 03 के पति लक्ष्मीनारायणजी ने मोहनदास जी के जीवनकाल में ही तत्कालीन हल्का पटवारी एवं संरपच ग्राम पंचायत से मिलकर इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित मोहनदास जी के संपूर्ण हक हिस्से की भूमि आपसी पारिवारिक बंटवारे का हवाला देकर अपने अकेले के नाम करवा ली, जो कतई गलत है। जबकि इस प्रकरण में मोहनदास जी एवं उनके सह-हिस्सदारों ने इस प्रकार का कोई बंटवारा नहीं किया था। न ही मौके पर राजस्व रेकर्ड में भूमि को अलग-अलग बांटा गया था। जबकि इस प्रकार का यदि बंटवाड़ा किया भी जाना था तो उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में मोहनदासजी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना कतई आवश्यक नहीं था। लेकिन गैरसायल संख्या 01 से 03 के पिता व पति ने मोहनदासजी के जीवनकाल में ही राजस्व रेकर्ड से मोहनंदासजी का नाम हटाते हुए संपूर्ण भूमि अपने अकेले लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज करवा ली। उक्त कार्यवाही कतई गलत थी तथा इस नामन्तकरण संख्या 212 के बाद मोहनदासजी के नाम पीछे कोई भूमि शेष नहीं बची थी। इस प्रकार से मोहनदासजी के हक हिस्से में जो भी भूमि थी वह इस नामान्तकरण्स संख्या 212 पटवार हल्का राबडियावास के जरिये व अकेले इनके बड़े पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज हो गयी थी। मोहनदासजी का देहान्त दिनांक 08.11.2001 को हुआ था। इसलिए भी नामान्तकरण 212 के जरिये संपूर्ण भूमि लक्ष्मीनारायण के नाम गलत होना साबित है। इस प्रकार से लक्ष्मीनारायण वल्द मोहनदास ने इसी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में से निम्नलिखित विवरण की भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवायी। जो इस प्रकार है- खसरा नम्बर 20/2 रकबा 07-10 बीघा किस्म बारानी अलीफ, खसरा नम्बर 386/2 रकबा 4-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 393/2 रकबा 4-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 405/2 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर [illegible]/1 रकबा 01-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 463/2 रकबा 02-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 732/2 रकबा 29–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 881/2 रकबा 02–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 412/2 रकबा 06–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 880 रकबा 0–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा आई हुई है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि पर जब तक मोहनदासजी जीवित रहे उन्होने काश्त किया था तथा उनके देहान्त के उपरान्त सायल सहित गैरसायलान का कब्जा एवं हक अधिकार है। विवादित भूमि डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा पूर्व में उक्त भूमि सायल के पिता परपिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही थी। लक्ष्मीनारायण वल्द मोहनदास का देहान्त दिनांक 09.10.2008 को हो चुका है। इस प्रकार से इस विवादित भूमि में 1/4 वें हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/4 लक्ष्मीनारायण के वारिसान गैरसायल संख्या 01 से 03 का है। शेष 1/2 हिस्से की भूमि लक्ष्मीनारायण की जायन्दा पुत्रियों के हक व हिस्से की है। इस प्रकार से जब तक इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में डोलीधारों के नाम चले तब तक भूमि अकेले लक्ष्मीनारायण जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही थी। तत्पश्चात राज्य सरकार के सकुर्लर से डोलीधारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया। लेकिन मौके पर सायल का 1/4 वें हिस्से की भूमि पर बतौर मालिक व भौक्ता के रूप कब्जाकाश्त यथावत चला आ रहा है। पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं हो इस मंशा से नवम्बर, 2016 में सायल व गैरसायलान के बीच आपसी पारिवारिक बंटवारा भी लिखा गया था। जिसकी प्रति भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस विवादित खसरा नंबरान की भूमि पर भी दो कृषि कुंए वर्षों पूर्व खुदे हुए है। जिनमें एक बेरा रघुनाथ सागर व दुसरा बेरा हनुमान सागर है। जिनमें से आपसी सहमति से सायल के पास बेरा रघुनाथ सागर रखा गया है तथा गैरसायलान संख्या 01 से 03 के पास बेरा हनुमान सागर रखा गया है। उक्त दोनों पर एक ही शामलाती विद्युत कनेक्शन 15 एचपी का लिया हुआ है। लेकिन लक्ष्मीनारायण जी के देहान्त होने के बाद धीरे–धीरे गैरसायलान संख्या 01 से 03 की नियत में खोट आ गई तथा उन्होने सायल को एलानिया कथन कर दिया कि उक्त संपूर्ण भूमि डोली की अवश्य है, लेकिन पूर्व में हमारे पिताजी के नाम होने से हम तुम सायल ओमप्रकाश को इस भूमि पर कोई काश्त नहीं करने देंगे। तब ऐसा कथन करते हुए 05.10.2018 को गैरसायल संख्या 01 से 03 द्वारा सायल से विवाद किया गया जिसपर सायल ने संपूर्ण राजस्व दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त की, जिसपर सायल को नामान्तकरण संख्या 212 के द्वारा ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि पूर्व में लक्ष्मीनारायणजी के अकेले के नाम गलत दर्ज हो गई थी। जो काबिल दुरस्ती के है तथा इस वादग्रस्त भूमि की सीमा तक नामान्तकरण संख्या 212 काबिल निरस्तीकरण के है। साथ ही उक्त भूमि सायल के पूर्वजों के समय से ही बतौर डोलीदार के रूप में पूर्वजों के द्वारा काश्त की जाती रहने से सायल भी अपने हक हिस्से माफिक इस भूमि [illegible] घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना–पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के बाबत् घोषणा का सादर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसार राजस्थान सरकार के अधीनस्थ हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा डोली की भूमियों के बाबत् पृथक से कायम की जाने वाली पंजिका में सायल इस वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार/पुजारी के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। एवं उसी माफिक ऑनलाईन भी सायल बतौर पुजारी के इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा राज्य सरकार द्वारा इस वादग्रस्त भूमि की सीमा तक प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को बतौर पुजारी प्राप्त करने के एवं आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकारी है तथा इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक बाबत् घोषणा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादर होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। समस्त तथ्यों व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि सायली पैतृक पुश्तैनी व शामलाती भूमि है जिसके प्रत्येक इंच व हिस्से पर सायल को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि का बिना बंटवाडा कराये ही अनजबी क्रेता विशिष्ट भू-भाग पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, तथा मौके पर भी विवाद होगा। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र बहक सायल गैरसायल के विरुद्ध पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के इस आशय की सादिर फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित विवादित भूमि के 1/2 वें हिस्से की भूमि व बेरा रघुनाथ सागर पर सायल बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करें व काश्त के मुतालिक कार्य करावे तथा बेरा रघुनाथ सागर में अपना विद्युत पम्पसेट चलावे तथा पानी का उपयोग/उपभोग करे तो उसमें गैरसायलान स्वयं व उनके पारिवारिक सदस्य व हाली-एजेन्ट किसी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 4 से 6 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करता है पैरा संख्या में वर्णित वंश-वंशावली गलत व अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। सायलान की खातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि निम्न विवरण की आई हुई होने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। क्रम संख्या [illegible] 12 कुल खसरा 12 कुल रकबा 204-19 बीघा खसरा संख्या [illegible] 412, 441/1, 463, 732, 881, 386/1, 463/1, 8[illegible] 20 में सा[illegible] के पूर्वजों का मोहनदासजी के 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वां हक हिस्से में अधिकार होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। उक्त भूमि सायलान के शामलाती होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है बल्कि सायलान व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि में न तो कोई हिस्सा था, न है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 पूर्णतया गलत है जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। मोहनदास की वृद्धावस्था में उनके घर परिवार की देखरेख व घर का सारा लेनदेन मोहनदासजी के बड़े पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा किया जाने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। गैरसायल संख्या 1 से 2 के पिता गैरसायल संख्या के पति लक्ष्मीनारायण जी ने मोहनलाल के जीवनकाल में ही तत्कालीन हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत से मिलकर इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित मोहनदास जी के सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि आपसी बंटवारे का हवाला देकर अपने नाम करवाने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। पद संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या की भूमि में सायलान का कोई हक व अधिकार है नहीं तो उसमें सायल का कोई हक अधिकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। खसरा संख्या 20/2, 386/2, 393/2, 441/1/2, 463/2, 732/2, 881/2, 412/2, 880 में कब्जा काश्त होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है न तो सायल का कब्जा काश्त रहा, न है। मोहनदास जी के देहान्त के बाद सायल का हक अधिकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है पारिवारिक बंटवाड़ा होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है, पद संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या में सायल का न तो कभी कब्जा काश्त रहा, न है। पद संख्या 5 में वर्णित खसरों में सायल का कोई बंट है ही नही तो बंटवाड़ा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त भूमि में सायल का कोई सम्बन्ध न तो था न है। गैरसायल संख्या 1 से 3 ही उक्त भूमि की देखभाल करते है। यह बात सही है कि उक्त मंदिर श्री गोपाल जी महाराज के नाम की है तथा गैरसायल संख्या 1 से 3 के द्वारा पीढ़ियों से उनके पिता प्रपिता द्वारा ही उक्त मंदिर की पूजा अर्चना की जाती है तथा उक्त भूमि का कब्जाकाश्त किया जाता रहा है, सायल का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है न कभी रहा है। उक्त भूमि में सायल का कोई कतई कब्जा काश्त रहा ही नही तो हकतर्कनामा, बख्शिशनामा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मंदिर में बारी–बारी से सेवा पूजा करने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है सायल का उक्त मंदिर व भूमि से कोई सम्बन्ध है नहीं तो आपसी बंटवाड़ा वगैरा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता उक्त कथनों के अलावा पूरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 9 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। उक्त भूमि में सायल का कोई लेना देना ही नहीं है तो कुए शामिल होने व बंटवाड़ा होने व बारी–बारी से चलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 11 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। उक्त भूमि में सायल 1/2 हिस्सेदार सहखातेदार होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

जिसे गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। उक्त भूमि का सायल से कोई संबंध न तो था न है तो दिनांक 05.11.2016 को धमकी आदि देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेखीय दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी डोली बनाम मंदिर श्री गोपालजी महाराज के नाम राजस्व रिकर्ड में दर्ज है। वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थी के पिता, दादा वादग्रस्त आराजी में बतौर डोलीदार काबिज होकर काश्त करते रहे है एवं उनके देहांत के बाद सायल भी श्री गोपालीजी महाराज में मंदिर में सेवा पूजा करता रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में किये गये कथनों का खण्डन किया गया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज की खातेदारी भूमि है तथा डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज एक शाश्वत नाबालिग है। अतः मूल प्रकरण के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ऐसी भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार नहीं हो सकता। साथ ही शाश्वत नाबालिग के संबंध में किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार सृजित न होकर सम्पूर्ण समाज का उनके हितों के संरक्षण हेतु कर्तव्य सृजित होते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। साथ ही पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज की खातेदारी भूमि है जो कि एक शाश्वत नाबालिग है। अतः प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार का सुविधा का संतुलन साबित नहीं होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित हो कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested